न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 289/2024

अनवान : –

1. मोहरसिंह पुत्र श्री राम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्र श्री राम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
2. नाबालिग रोहित पुत्र कृष्ण कुमार संरक्षक कुदरती बली संरक्षिका माता सुमा पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
3. प्रताप पुत्र श्री राम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 15/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 103/111 के ख0न0 363 की 7.5770 हैक्ट, ख0न0 364 की 0.0630 हैक्ट, ख0न0 78 की 3.8580 हैक्ट, कुल 11.4980 हैक्ट जिसके वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 संयुक्त रूप से मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 103/111 की कुल 11.4980 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 7/24 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं उपरोक्तानुसार ही जमाबंदी में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 3 को अपने पूर्वजों के द्वारा बाहमी बंटवारा कर दिया गया है तथा उसी अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण काश्त करते आ रहे है तथा बंटवारा निम्नानुसार है–

रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 103/111 के ख0न0 78 में से 1.286 हैक्ट भूमि, ख0न0 363 में से 2.5467 हैक्ट भूमि कुल तादादी 3.8327 हैक्ट बारानी प्रथम भूमि वादी के पास रहेगी एवं 28745/38327 हिस्सा बैंक रहन यथावत रहेगा।

रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 103/111 के ख0न0 78 में से 1.286 हैक्ट भूमि, ख0न0 363 में से 2.4837 हैक्ट भूमि, खसरा न0 364 की 0.0364 हैक्ट कुल तादादी 3. 8327 हैक्ट बारानी प्रथम भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहेगी एवं 28745/38327 हिस्सा बैंक रहन यथावत रहेगा।

रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 103/111 के ख0न0 78 में से 1.286 हैक्ट भूमि, ख0न0 363 में से 2.4837 हैक्ट भूमि खसरा न0 364 की 0.0364 हैक्ट कुल तादादी 3. 8327 हैक्ट बारानी प्रथम भूमि में से 16768/1916 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के पास एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2395/19163 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के पास रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का बैक रहन यथावत रहेगा।

वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कई दफा कहा की वाद भूमि का खाता व लगान मुताबिक बाहमी बंटवारा के अनुसार दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि एक ही परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज है वाद भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं मुताबिक बंटवारा वाद भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है तथा प्रताप के हिस्से पर स्थगन आदेश है जो कि उसके वारिस द्वारा लिया गया है उक्त स्थगन से खाता विभाजन प्रभावित नही है क्योंकि प्रताप का हिस्सा यथावत रखा जा रहा है। प्रताप के हिस्से पर स्थगन यथावत रखा जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 103/111 के [illegible], ख0न0 364 की 0.0630 हैक्ट, ख0न0 78 की 3.8580 हैक्ट, कुल 11.4980 हैक्ट जिसके वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संयुक्त रूप से मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि एक ही परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज है वाद भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं मुताबिक बंटवारा वाद भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 103/111 के ख0न0 78 में से 1.286 हैक्ट भूमि, ख0न0 363 में से 2.5467 हैक्ट भूमि कुल तादादी 3.8327 हैक्ट बारानी प्रथम भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 103/111 के ख0न0 78 में से 1.286 हैक्ट भूमि, ख0न0 363 में से 2.4837 हैक्ट भूमि, खसरा न0 364 की 0.0630 हैक्ट कुल तादादी 3.8327 हैक्ट बारानी प्रथम भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 103/111 के ख0न0 78 में से 1.2860 हैक्ट भूमि, ख0न0 363 में से 2.5466 हैक्ट भूमि कुल तादादी 3.8326 हैक्ट बारानी प्रथम भूमि में से 16768/19163 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 2395/19163 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए एवं प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से पर स्थगन आदेश यथावत रखते हुए उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:30 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 289 / 2024

अनवान : –

1. मोहरसिंह पुत्र श्री राम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्र श्री राम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
2. नाबालिग रोहित पुत्र कृष्ण कुमार संरक्षक कुदरती बली संरक्षिका माता सुमा पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
3. प्रताप पुत्र श्री राम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 289 सन 2024 निर्णय दिनांक – 15/5/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 103 / 111 के ख0न0 78 में से 1.286 हैक्ट भूमि, ख0न0 363 में से 2.5467 हैक्ट भूमि कुल तादादी 3.8327 हैक्ट बारानी प्रथम भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 103 / 111 के ख0न0 78 में से 1.286 हैक्ट भूमि, ख0न0 363 में से 2.4837 हैक्ट भूमि, खसरा न0 364 की 0.0630 हैक्ट कुल तादादी 3.8327 हैक्ट बारानी प्रथम भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता संख्या 103 / 111 के ख0न0 78 में से 1.2860 हैक्ट भूमि, ख0न0 363 में से 2.5466 हैक्ट भूमि कुल तादादी 3.8326 हैक्ट बारानी प्रथम भूमि में से 16768 / 19163 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 2395 / 19163 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए एवं प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से पर स्थगन आदेश यथावत रखते हुए उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:30 IST
Reason: SelfAttested